3 Rg51

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण-सम्पदा/46/73/विविध/2022/1158 भोपाल, दिनांक 10/11/2022

प्रति,

01 संयुक्त संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय--------------(समस्त)

02 कार्यपालन यंत्री,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग--------------(समस्त)

विषय- प्रांगण/सम्पदा शाखा से संबंधित स्थाई बिन्दुओं पर सतत कार्यवाही कर प्रतिवेदन भेजने बावत।

प्रदेश के कृषि उपज मंडी समिति तथा बोर्ड कार्यालयों की प्रांगण सम्पदाओं के संबंध में विषयान्तर्गत् निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रभावी तथा तत्पर कार्यवाही करने के निर्देश एकाधिक पत्रों-परिपत्रों-आदेशों से दिये गये हैः-

(1)- मंडियों, अक्रियाशील मंडी/उपमंडी की रिक्त भूमि, निर्मित संरचना की भूमि तथा भूमि किस प्रकार से प्राप्त है स्वामित्व की जानकारी।

(2)- रिक्त भूमि पर उपयोगी अवसंरचना विकास हेतु मास्टर प्लान/ले-आऊट निर्धारण, पुर्नघत्वीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार कर भेजना।

(3)- मंडियों की भूमि का स्वामित्व नामांतरण पूर्ण कराना।

(4)- स्थाई/अस्थाई अतिक्रमणों को हटाया जाना सुनिश्चित करें।

(5)- पुरानी मंडियों को नवीन प्रांगणों में स्थानांतरण की कार्यवाही पूर्ण करावें।

(6)- पुराने रिक्त प्रांगण मे पुर्नघत्वीकरण योजना का प्रस्ताव तैयार कर भेजे।

(7)- 'अ' वर्ग की प्रमुख मंडियों को अत्याधुनिक हायटेक स्मार्ट बनाने की कार्यवाही करें।

(8)- प्रत्येक संभाग में एक सर्व-सुविधायुक्त टर्मिनल मार्केट विकसित कराना।

(9)- रिक्त गोदाम, शॉपकम गोदाम एवं सन्ड्रीशॉप के आवंटन हेतु कार्यवाही करें, आवंटन न होने पर निर्माणकर्ता का दायित्व निर्धारण करें।

(10)- मंडियों में स्थित समस्त भण्डारण क्षमता गोदाम, कवर्ड शेड, ओपन पक्का प्रांगण साईज तथा क्षमता देवे।

(11)- 2002 के पूर्व के परिपत्रों के तहत आवंटित पुराने लीज नवीनीकीरण के प्रकरणों, प्रस्तावों की जानकारी देवे।

(12)- मंडी सम्पदा से राजस्व की माह वार प्राप्ति तथा बकाया की जानकारी देवे।

(13)- बोर्ड व मंडी की सम्पदा के निर्माण व मरम्मत के प्रस्ताव तैयार करावे।

(14)- प्रांगण/सम्पदा के न्यायालयीन प्रकरणो की कार्यवाही की स्थिति देवे।

(15)- प्रापर्टी मैनेजमेंट पोर्टल पर प्रविष्टयां अपूर्ण है पूर्ण कर सत्यापित कर प्रतिवेदन भेजे।

(16)- म.प्र. राज्य कृषि उपज (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के संबंध में जारी पत्र क्रमांक 913 दिनांक 28/09/2021 के तहत अद्यतन सुझाव।

(17)- बोर्ड/मंडियों की कुल सम्पदा की प्रत्येक साईजवार जानकारी।(प्रपत्र-17 संलग्न है)

(18)- प्रांगण/सम्पदा से संबंधित (विधान सभा प्रश्न/आश्वासन की अपूर्ण स्थिति, HCM A+, CM Helpline L-4, TL/VIP/प्रकरणो पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति)

उपरोक्त बिन्दुओं पर पूर्व निर्धारित प्रपत्रों में आचंलिक अधिकारी द्वारा प्रतिमाह मंडी सचिव से अद्यतन स्थिति/प्रगति प्राप्त कर मासिक बैठक में समीक्षा की जावे तथा इन बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही/उपलब्धि का प्रतिवेदन (मंगल फान्ट मे साफट एवं हार्ड कापी) आंचलिक अधिकारी सचिव बैठक के पूर्व दिनांक 15 तक प्रतिमाह ई-मेल **ad.mpsamb@gmail.com** एवं **property.mpsamb@gmail.com** पर प्रेषित किया जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं पर पूर्व निर्धारित प्रपत्रों में कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग द्वारा सहायक यंत्री, उप यंत्री के साथ समीक्षा की जाकर अद्यतन स्थिति/प्रगति से प्रतिमाह 15 तारीख तक अधीक्षण यंत्री के माध्यम से (मंगल फान्ट मे साफट एवं हार्ड कापी) मे प्रतिवेदन प्रेषित करे।

(प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशित)

अपर संचालक (प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पत्र- स्थायी बिन्दु-18

पृ0क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण-सम्पदा/46/73/विविध/2022/1159 भोपाल, दिनांक 10/11/2022

प्रतिलिपि -

1- निज सहायक, प्रबंध संचालक सह आयुक्त, मंडी बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2- अधीक्षण यंत्री मंडी बोर्ड भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- उप संचालक/सहायक संचालक (प्रांगण/सम्पदा) की ओर मॉनिटरिंग हेतु।

4- अनुभाग अधिकारी/सहायक की ओर सतत फालोअप कार्यवाही हेतु।

5- सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति..........................(समस्त)।

अपर संचालक (प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल